चराजन्द्र आयुविज्ञान संस्थान
(झारखण्ड सरकार का एक स्वयतशासी संस्थान)
राँची–834009 (झारखण्ड)
दुरभाषः 0651–2541533, फैक्सः 0651–2540629,
E-mail: rimsranchi@rediffmail.com

RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
(An Autonomous Institute under Govt. of Jharkhand)
Ranchi-834009 (Jharkhand)
Phone: 0651-2541533, Fax: 0651-2540629,
Email : rimsranchi@rediffmail.com

Order No. RIMS/Admin/ .... Dated...............

आदेश

WP(PIL) No 1301/2020 मे माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 28.01.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 2292 दिनांक 20.05.2022 एवं विज्ञापन संख्या 2474 दिनांक 01.06.2022 द्वारा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में क्रमशः चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी एवं सफाई सेवक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा उपरांत परीक्षा में सम्मलित होने हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थी की सूची रिम्स के वेबसाईट पर शीघ्र प्रकाशित किया जा रहा है। विज्ञापन में किये गये प्रावधान के अनुसार उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा लिया जाना है।

अतः चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी एवं सफाई सेवक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18.09.2022 को अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, परिसर में अवस्थित एकेडमिक भवन में आयोजित किया जाना है। संवीक्षा के उपरांत परीक्षा में सम्मलित होने वाले योग्य पाये गये अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र विज्ञापन के अनुसार निबंधित डाक से भेजे जा रहे हैं। अगर किन्ही को किसी कारणवश प्रवेश पत्र नहीं मिला हो तो वे रिम्स, राँची अन्तर्गत प्रशासनिक भवन के दुसरे तल्ले पर स्थित स्थापना शाखा से दिनांक 15.09.2022 से परीक्षा की तिथि 18.09.2022 के दो घंटा पूर्व तक कार्यालय अवधि में वितरण किया जायेगा, जहाँ से वे अपना प्रवेश पत्र उचित पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त कर सकते है। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि रिम्स परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रों की जाँच सुनिश्चित करेगा। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दायर याचिका संख्या W.P(S) No 1032/2021, W.P(S) No 939/2021. WP(S) No 3267/2021, WP(S) No 256/2021 एवं WP(PIL) No 1301/2020 में पारित न्यायादेश से परीक्षा एवं परीक्षा का परिणाम प्रभावित होगा।

परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सरकार द्वारा वैध माना गया एक पहचान पत्र, पेंसिल तथा Blue and Black Ballpoint Pen लेकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगें। किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल फोन, किसी प्रकार का पेय पदार्थ एवं बैग लेकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमती नहीं है। यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास किसी प्रकार का आपत्ति जनक कागजात आदि पाये जाने तथा परीक्षा में कदाचार बरतते हुए पकड़े जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल से निष्काशित कर दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

निदेशक
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची

ज्ञापांक 4135 /रिम्स, राँची, दिनांक 09/09/2022

प्रतिलिपि :– अपर निदेशक (प्रशासन), रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त परीक्षा में विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त, राँची, अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची से दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति एवं पुलीस अधीक्षक, राँची से सशत्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कराने संबंधी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– संकाध्याध्यक्ष, रिम्स, राँची/चिकित्सा अधीक्षक/प्रशासनिक पदाधिकारी, रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– कार्यालय अधीक्षक, रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, वेबसाईट, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इसे रिम्स के वेबसाईट पर अपलोड कर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगें।

09/9/22

निदेशक
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची